

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
संकल्प

संकल्प सं०:- 6279091 / पटना, दिनांक :- 23/07/2026
संचिका सं०-R-504/37/2025-SECTION 14-RDD-RDD (COM-497473)

श्री अशोक कुमार जिज्ञासु (अनुक्रमांक-210489), तत्कालीन निर्वाची पदाधिकारी (पंचायत)-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, तरारी (भोजपुर) सम्प्रति-कार्यपालक दंडाधिकारी, रजौली (नवादा) के विरुद्ध वाद संख्या-41/2021 रंजू देवी बनाम उषा देवी के वाद में माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार द्वारा दिनांक-05.06.2025 को पारित आदेश के आलोक में तत्कालीन निर्वाची पदाधिकारी (पंचायत)-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, तरारी (भोजपुर) के विरुद्ध निर्वाची पदाधिकारी के दायित्वों को निष्पक्ष एवं ईमानदारीपूर्वक नहीं निभाने तथा एक पक्ष को लाभ पहुंचाने हेतु अभिलेखों में हेर-फेर करने के प्रमाणित आरोपों के लिए आदेश निर्गत तिथि से अगले 10 वर्षों तक सभी निर्वाचन कार्य में भाग लेने से प्रतिबंधित करने संबंधी आरोप पर जिला पदाधिकारी, भोजपुर के पत्रांक-4611/जि०पं० दिनांक-03.11.2025 द्वारा आरोप पत्र उपलब्ध कराया गया ।

जिला पदाधिकारी, भोजपुर से प्राप्त आरोप पत्र पर विभागीय पत्रांक-5029596 दिनांक-07.01.2026 द्वारा श्री अशोक कुमार जिज्ञासु से स्पष्टीकरण की मांग की गयी । कार्यालय, कार्यपालक दंडाधिकारी, रजौली (नवादा) के पत्रांक-300 दिनांक-27.01.2026 के माध्यम से श्री जिज्ञासु द्वारा अपना स्पष्टीकरण विभाग में समर्पित किया गया । श्री अशोक कुमार जिज्ञासु द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी, भोजपुर के पत्रांक-2002 दिनांक-01.07.2026 द्वारा मंतव्य प्राप्त है ।

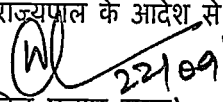
श्री अशोक कुमार जिज्ञासु के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये आरोप पत्र, उक्त आरोप पर श्री अशोक कुमार जिज्ञासु द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये मंतव्य की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी ।

समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री अशोक कुमार जिज्ञासु द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है । श्री अशोक कुमार जिज्ञासु के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा प्रतिवेदित आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, जिसमें वृहत एवं गहन जाँच की आवश्यकता है । तदालोक में श्री अशोक कुमार जिज्ञासु के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) 2005 के नियम-17 के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है ।

उक्त के आलोक में श्री अशोक कुमार जिज्ञासु (अनुक्रमांक-210489), तत्कालीन निर्वाची पदाधिकारी (पंचायत)-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, तरारी (भोजपुर) सम्प्रति-कार्यपालक दंडाधिकारी, रजौली (नवादा) के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संचालित करने हेतु प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को संचालन पदाधिकारी नामित किया जाता है एवं उपस्थापन पदाधिकारी नामित करने हेतु जिला पदाधिकारी, भोजपुर को निदेश दिया जाता है ।

एतद् द्वारा श्री अशोक कुमार जिज्ञासु को आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति प्राप्त होने पर संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर जैसा कि संचालन पदाधिकारी आदेश दें, अपना स्पष्टीकरण/लिखित बचाव बयान (साक्ष्य सहित) उनके समक्ष प्रस्तुत करेंगे ।

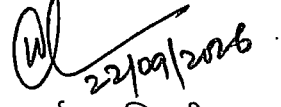
अनुशासनिक कार्यवाही संचालन के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
आदेश:- आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(नलिन प्रताप राणा)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक :- 6279091 / पटना, दिनांक :- 23/09/2026

संचिका संO- R-504/37/2025-SECTION 14-RDD-RDD (COM-497473)

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में, सी०डी० सहित) बिहार गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

 22/09/2026

विशेष कार्य पदाधिकारी

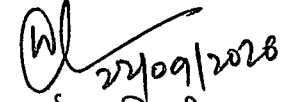
ज्ञापांक :- 6279091 / पटना, दिनांक :- 23/09/2026

संचिका संO- R-504/37/2025-SECTION 14-RDD-RDD (COM-497473)

प्रतिलिपि:- प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, भोजपुर एवं नवादा/उप विकास आयुक्त, भोजपुर एवं नवादा/कोषागार पदाधिकारी, भोजपुर एवं नवादा/प्रभारी पदाधिकारी प्रशाखा-03. ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग (विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्श हेतु)/श्री अशोक कुमार जिज्ञासु (अनुक्रमांक-210489), तत्कालीन निर्वाची पदाधिकारी (पंचायत)-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, तरारी (भोजपुर) सम्प्रति-कार्यपालक दंडाधिकारी, रजौली (नवादा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संचालन पदाधिकारी को आरोप पत्र एवं संबंधित अभिलेख/कागजात की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि अनुशासनिक कार्यवाही तुरंत आरंभ कर दें तथा अपना प्रतिवेदन शीघ्र देंगे एवं कार्यवाही अभिलेख के साथ आदेश फलक संलग्न कर अपना निष्कर्ष तीन प्रतियों में विभाग/सरकार को प्रस्तुत करेंगे।

जिला पदाधिकारी, भोजपुर को पत्र की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि सरकार का पक्ष रखने हेतु वे जिला स्तर के किसी वरीय पदाधिकारी को उपस्थापन पदाधिकारी नामित करते हुए पत्र का तामिला कराकर अनुशासनिक कार्यवाही में उपस्थित होने का निदेश देंगे।

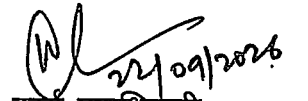
 22/09/2026

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक :- 6279091 / पटना, दिनांक :- 23/09/2026

संचिका संO- R-504/37/2025-SECTION 14-RDD-RDD (COM-497473)

प्रतिलिपि:- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

 22/09/2026

विशेष कार्य पदाधिकारी